फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

डूंगाराम बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा ......225.आर.टी.एक्ट... मुकदमा नंबर......4......सन..........2023....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
5/1/23	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा मुकदमा संख्या 37/2022 बउनवान डूंगाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा दासपां में स्थित पूर्व खसरा नम्बर 937 वर्तमान खसरा नम्बर 1240 अपीलाण्ट के खातेदारी व कब्जा काश्त की है जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है। खसरा संख्या 937 का रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा था परन्तु खसरा संख्या 1240 का रकबा गलत तौर पर 2.24 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उसके पडौस में खसरा संख्या 1239 का सृजन करते हुये रकबा 0.31 हैक्टर गैर मुमकिन नाडी दर्शाया गया जबकि नाडी जैसी कोई स्थिति मौके पर मौजूद नहीं है। अपीलाण्ट का 15 वर्ष पुराना मकान इसी आराजी में निर्मित है। इसके अलावा अन्य कोई मकान दासपां की आबादी में उपलब्ध नहीं है। यदि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया तो अपीलाण्ट न्याय से वंचित रह जायेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की जो प्रतियां प्रस्तुत की गई है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया। तद्नुसार विधिक दृष्टिकोण से प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में हम यह निर्देश दिया जाना उचित समझते हैं कि उपखण्ड अधिकारी भीनमाल दोनो पक्षों को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही कर दो माह के भीतर प्रकरण पर यथोचित निर्णय पारित करें, तब तक जैर अपील विवादित आराजी के संबंध में उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार भीनमाल को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली